भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 986

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी और एनसीएलएटी में राजनीतिक नियुक्तियां

986. प्रो. सौगत राय:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियों के संबंध में कोई टिप्पणी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय की राय के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत आवेदनों को "समय पर स्वीकार न किए जाने और उनके निपटान की कमी" के क्या कारण हैं;
(घ) क्या ऐसे निकायों के प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में सदस्यों के पदों को भरने की प्रक्रिया कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच एक गतिशील, एकीकृत और सतत सहयोग है। नियुक्तियां एनसीएलटी के लिए चयन समिति और एनसीएलएटी के लिए छानबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामिती की अध्यक्षता में दोनों समितियों का गठन नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष एक निर्णायक वोट रखता है, निष्पक्षता को मजबूत करता है और चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखता है।

(ग): मामले के निपटान में विलंब अनेक कारकों जैसे अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, स्टेकहोल्डरों का सहयोग और प्रक्रियात्मक मुद्दे से प्रभावित होता है। स्थगन और कई अंतरिम आवेदन फाइल करने से भी विलंब हो जाता है।

(घ): भारत के शीर्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पदानुक्रम में सर्वोच्च प्राधिकारी है। इसके आदेश और निर्णय भारत के पूरे क्षेत्र में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी हैं, जो कानून के प्रयोग में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****